

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

सीमित निविदा सूचना

क्रमांक-प.21(180)/O&M/फर्नीचर/Pt-II/25-26/70

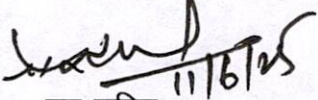
दिनांक: 11 / 06 / 2025

आयोग भवन के नवनिर्मित सी.सी.ई. ब्लॉक में विशेषज्ञों द्वारा विशिष्ट प्रकृति के कार्य किये जाने के लिए कुर्सियों की अति आवश्यकता है। इस हेतु विशेषज्ञों के बैठने के लिए कुर्सियां क्रय करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु वार्षिक दर पर अनुबंध करने हेतु संबंधित फर्नीचर, अधिकृत सर्विस केन्द्रों/डीलरों आदि से सीलबंद सीमित निविदा आमंत्रित की जानी है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

कार्य का विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	बिड प्राप्ति की अन्तिम तिथि व समय	बिड खोलने की तिथि व समय
1.	आयोग भवन के नवनिर्मित सी.सी.ई. ब्लॉक में विशेषज्ञों के बैठने के लिए कुर्सियां उपलब्ध करवाना विशेषज्ञ कुर्सी मापदण्ड पीयू हैण्डिल, सीट बैक कुशन, बैक लेदर साईड, सीट साईज 18"X18" बैक साईज 18"X21"	1.99 बोली प्रतिभूति राशि (2%) रु0 3980 /-	दिनांक 18-6-25 दोपहर 1.00 बजे से	दिनांक 18-6-25 सांय 3.00 बजे तक

- बिड प्रपत्र एवं शर्तें www.rpsc.rajasthan.gov.in एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है।
- बोली प्रतिभूति राशि (2% निविदा मूल्य) रु0 3980 /- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(5) वित्त (सा.वि.ले.नि.) 2018, जयपुर दिनांक 27.04.2020 में वर्णित अनुसार E-Grass सिस्टम के माध्यम से बजट मद 8443-00-103-00 में जमा कर चालान की प्रति संलग्न करावें।


11/6/25

उप सचिव

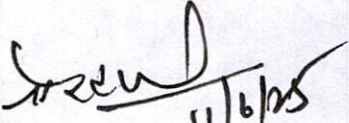
समन्वय एवं व्यवस्था

क्रमांक-प.21(180)/O&M/फर्नीचर/Pt-II/25-26/71-73

दिनांक: 11 / 06 / 2025

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- सहायक लेखाधिकारी प्रथम, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- प्रभारी अधिकारी आई.टी.सेल को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा प्रपत्र को आयोग की वेबसाईट तथा "<http://sppp.raj.nic.in>" पोर्टल पर अपलोड करावें ।
- नोटिस बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।


11/6/25

उप सचिव

समन्वय एवं व्यवस्था

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

निविदा प्रपत्र

बिड जमा कराने की अन्तिम तिथि

18-6-25

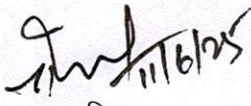
अपरान्ह 1.00 बजे तक

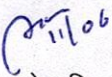
आयोग भवन के नवनिर्मित सी.सी.ई. ब्लॉक में विशेषज्ञों के बैठने के लिए कुर्सियां उपलब्ध करवाने के लिए सीमित निविदा

1. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम
दूरभाष/मोबाईल नम्बर एवं डाक का पता
.....
बैंक खाता संख्या.....
बैंक का नाम शाखा का नाम.....
.....IFSC Code.....
2. किसको संबोधित की गई :- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संदर्भ – सीमित निविदा सूचना संख्या..... दिनांक :
4. हम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी की गयी सीमित निविदा सूचना सं.....
दिनांकमें वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की
अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे
द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।
5. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि के भीतर की सुपुर्दगी आयोग
को आवश्यक रूप से देनी होगी ।
6. वित्तीय निविदा में उद्धृत की गयी दरें अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिये विधिमान्य है। इस अवधि
को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा ।
7. जी.एस.टी.पंजीयन सं.....पैन नम्बर.....की प्रति संलग्न है, इनके अभाव में
बिड पर विचार नहीं किया जायेगा ।
8. बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्तें अंकित नहीं करें । यदि अन्य शर्तें अंकित की जाती है तो बिड को
अस्वीकृत करने/शर्तों को अमान्य करने का अधिकार आयोग को होगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय सील


उप सचिव
(समन्वय एवं व्यवस्था)


सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)
(लेखा)


अनुभाग अधिकारी
(समन्वय एवं व्यवस्था)

वित्तीय बिड

इस बिड से सम्बन्धित सभी प्रतिबंध एवं शर्तों को हमने/मैंने पढ लिया है और ये प्रतिबंध एवं शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य है तथा आयोग भवन के नवनिर्मित सी.सी.ई. ब्लॉक में विशेषज्ञों के बैठने के लिए कुर्सियां उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में दरें निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्र. स.	आईटम का नाम	कार्य की राशि (समस्त करों व चार्जेज सहित) (FOR राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर)	
		प्रति कुर्सी राशि अंको में	प्रति कुर्सी राशि शब्दों में
1	आयोग भवन के नवनिर्मित सी. सी.ई. ब्लॉक में विशेषज्ञों के बैठने के लिए कुर्सियां उपलब्ध करवाना विशेषज्ञ कुर्सी मापदण्ड पीयू हैण्डिल, सीट बैक कुशन, बैक लेदर साईड, सीट साईज 18"X18" बैक साईज 18"X21"		

नोट :-

1. निविदादाता समस्त कर व चार्जेज सहित अपनी दरें प्रस्तुत करेगा ।
2. निविदा से सम्बन्धित कार्य का विवरण, नियम एवं शर्तें संलग्न है जिनका अध्ययन अवश्य कर लिया जावे। मै/हम इससे पूर्णतः सहमत है ।

हस्ताक्षर बोलीदाता :

नाम :

पूरा पता :

:

मोबाईल नम्बर :

Email :


उप सचिव
(समन्वय एवं व्यवस्था)


सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)
(लेखा)


अनुभाग अधिकारी
(समन्वय एवं व्यवस्था)

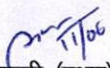
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

निविदा के लिये शर्तें

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर भवन के नवनिर्मित सी.सी.ई. ब्लॉक में विशेषज्ञों के बैठने के लिए कुर्सियां उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में वार्षिक दर संविदा सीमित निविदा द्वारा स्वीकृत करने हेतु नियम और शर्तें निम्नांकित होगी ।

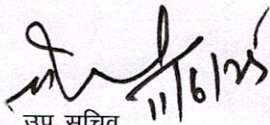
1. निविदाएँ उचित रूप से मोहर बंद होनी चाहिए ।
2. कुर्सियां उपलब्ध कराने हेतु आमंत्रित निविदाओं से दर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं उक्त कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जावेगा जिसकी अधिकतम राशि 1.99 लाख तक होगी ।
3. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेताधिकारी को लिखित में निविदादाताओं द्वारा दी जायेगी। इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा ।
4. निविदा प्रारूप स्याही से अथवा टंकण से भरा जायें। पेंसिल से भरी गई निविदा मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की शर्तों को स्वीकार करने का प्रमाण पत्र देगा ।
5. दरें शब्दों एवं अंको दोनों में लिखें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां/कांट-छांट नहीं होनी चाहिये। यदि किसी प्रकार की शुद्धि करनी है वह स्पष्ट रूप से मय अपने लघु हस्ताक्षर के करनी चाहिये।
6. दरें समस्त करों सहित देनी होगी ।
7. दरें एफ.ओ.आर. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर स्वीकार की जायेगी ।
8. विधि मान्यता-निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।
9. निविदादाता अपनी अनुमोदित दर का या उससे सार्वजनिक भाग को किसी अन्य एजेंसी के लिये नहीं सौंपेगा/उप भाडें पर नहीं देगा ।
10. निविदा में वर्णित कार्य क्रेता अधिकारी के संतुष्टी के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई कर एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निविदा निरस्त कर सकता है एवं इस प्रकार निरीक्षण करने के समय भी निविदा निरस्त कर सकता है तथा इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को भी अभिलिखित करेगा ।
11. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनहिता होगी ।
12. सुपुर्दगी अवधि सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश जारी होने की तिथि से आदेश में दिये गये कार्यदिवस में सप्लाई/पूर्ण करनी अनिवार्य होगी ।

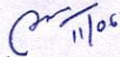

उप सचिव
(समन्वय एवं व्यवस्था)


सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)
(लेखा)


अनुभाग अधिकारी
(समन्वय एवं व्यवस्था)

13. सफल निविदादाता को आदेश जारी होने कि तिथि से 07 कार्य दिवस के भीतर अनुमानित क्रय लागत का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि रु. 9950/- के एफ.डी.आर./एन.एस.सी./बैंकर चैक के रूप में जमा कराना होगा तथा एक प्रारूप में करार करना होगा। सिक्योरिटी राशि दर प्रस्ताव की अवधि जो कि क्रय आदेशानुसार संतोषजनक सप्लाई होने अथवा फर्म के विरुद्ध किसी प्रकार के बकाया न होने के प्रमाण पत्र के प्राप्त होने के पश्चात लौटा दी जायेगी।
14. सिक्योरिटी राशि का समपहरण-सिक्योरिटी राशि का पूर्ण/आंशिक समपहरण निम्नलिखित मामलो में किया जायेगा।
 - (क).जब सीमित निविदा व क्रय आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया हो।
 - (ख).जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।
 - (ग).सिक्योरिटी राशि को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय में पूर्व नोटिस दिया जायेगा इस सबन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
 - (घ)..करार पत्र पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा विभाग को उस करार पत्र कि एक स्टाम्प सुदा प्रति प्रस्तुत की जायेगी।
15. भुगतान- प्राप्त माल का राजकीय नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
16. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने या न्यूनतम दर वाली निविदा रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
17. सशर्त एवं तार द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं होगी।
18. सभी विवादो का न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा।
19. निविदा में दर्शायी मात्रा में कमी/वृद्धि करने का अधिकार क्रेता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
20. (1)कार्य आदेश में सुपुर्दगी के लिये दिया गया समय अन्तिम होगा तथा सफल निविदादाता को आदेश में निर्धारित अवधि में सप्लाई करनी होगी। जो अधिकतम 7 दिवस होगी।
(2)वसूलीया:-सप्लाई किये गये सामान में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर, क्षय होने पर, टूट फुट होने पर राशि बिल में से काटी जायेगी यदि सप्लाई टूटे या कम पाये सामान समय पर संतोषजनक ढंग से नहीं बदलता है तो उसके देय राशि एवं प्रतिभूति राशि में से उसकी वसूली की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी।
21. निविदा में दी गई दरें एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी। जिसे RTPP ACT 2012 एवं RTPP Rules 2013 के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।
22. निविदा प्रपत्र मूल ही स्वीकार किये जायेंगे।
23. शर्तों के अनुसार सम्पादित हानि की कटौती फर्म के बिलो मे से काटी जायेगी।

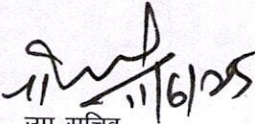

उप सचिव
(समन्वय एवं व्यवस्था)

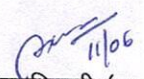

सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)
(लेखा)


अनुभाग अधिकारी
(समन्वय एवं व्यवस्था)

24. सभी प्रकार के करों की कटौति राजकीय नियमानुसार की जावेगी।
25. निविदा पर RTPP अधिनियम -2012 एवं RTPP नियम .2013 के प्रावधान प्रभावशील होंगे।
26. जीएसटी भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
27. दरें स्वीकार होने पर आयोग द्वारा दिये गये आदेशानुसार सामान की सप्लाई शीघ्रतिशीघ्र करना होगा।
28. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
29. क्रेता अधिकारी करों का पृथक से भुगतान नहीं करेगा। करों के भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
30. देय कर/जीएसटी का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
31. कार्यादेश से दस दिवस की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर आयोग सचिव को यह अधिकार होगा कि पुनः निविदा आमंत्रित कर अथवा अन्य निविदादाता/बाजार से कार्य करवाए जा सकेंगे जिस पर हुए अतिरिक्त/सम्पूर्ण व्यय की राशि सफल निविदादाता से वसूल कर ली जायेगी।
32. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाली बिडों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
33. किसी भी बिड अथवा समस्त बिडों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को होगा।
34. मैंने/हमने उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें एवं नियम पढ़ लिये हैं तथा मैं/हम इससे पूर्णतः सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

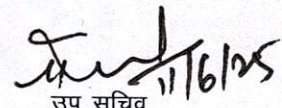

उप सचिव
(समन्वय एवं व्यवस्था)

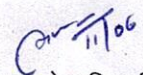

सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)
(लेखा)


अनुभाग अधिकारी
(समन्वय एवं व्यवस्था)



विशेषज्ञ कुर्सी मापदण्ड
पीयू हैण्डिल, सीट बैक कुशन,
बैक लेदर साईड,
सीट साईज 18"X18"
बैक साईज 18"X21"


उप सचिव
(समन्वय एवं व्यवस्था)


सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)
(लेखा)


अनुभाग अधिकारी
(समन्वय एवं व्यवस्था)